न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास भंवर लाल मेहरा आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 00068/2019/जिला–नागौर

सुखाराम पुत्र घीसाराम जाति जाट निवासी बिखरनियांकला तहसील डेगाना जिला नागौर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. ललाराम पुत्र मांगुराम जाति जाट निवासी बिखरनियाकला तहसील डेगाना जिला नागौर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत बिखरनियांकला, तहसील डेगाना जिला नागौर।
3. भू–अभिलेख निरीक्षक हल्का पालड़ीकला तहसील डेगाना जिला नागौर।
4. पटवारी हल्का बिखरनियांकला तहसील डेगाना जिला नागौर।

––––प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी डेगाना दिनांक 15–01–2018 अपील संख्या 05/2017 बउनवान लालाराम बनाम ग्राम पंचायत बिखरनियांकला

————

उपस्थित– 1. श्रीमती सविता चौहान, अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री भींयाराम चौधरी, प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांकः– 01–11–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिखरनियांकला तहसील डेगाना स्थित आराजी खसरा नम्बर 190, 674, 583, 174, 179, 180 के खातेदार स्व0 हरदेवराम ने अपने जीवनकाल में उक्त खसरा नम्बरान में से अपने हक खातेदारी की वसीयत अपीलार्थी के हक में निष्पादित कर पंजीयन कर दिया था उसके पश्चात हरदेवराम का देहान्त होने पर पटवारी हल्का ने विवादित आराजियात के सहखातेदार व मृतक हरदेवराम के दो भाई घीसाराम व लालाराम के हक में नामान्तरकरण भरकर पेश किया तब अपीलार्थी ने वसीयतनामा प्रस्तुत कर हरदेवराम के स्थान पर अपीलार्थी का नाम वसीयत के आधार पर दर्ज करने हेतु निवेदन किया। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 118 को दिनांक 5–6–2017 को खारिज करने के आदेश पारित कर दिये। जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा सहखातेदार घीसाराम व अपीलार्थी को पक्षकार बनाए बिना ही

केवल ग्राम पंचायत बिखरनियांकला व प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 को पक्षकार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना ने अपील दर्ज कर सरपंच ग्राम पंचायत बिखरनियांकला के आदेश दिनांक 5–6–2017 को निरस्त कर विधिक पक्षकारान को सुनकर विधिवत सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी, डेगाना के उक्त आदेश दिनांक 15–01–2018 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपील के साथ प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर भी उभय पक्ष को सुना गया । अभिभाषक अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि अपीलार्थी न्यायालय सहायक कलक्टर, डेगाना के समक्ष विचाराधीन वाद उनवानी घीसाराम बनाम लालाराम में प्रतिवादी संख्या 10 प्रतिस्थापित होकर पक्षकार था किन्तु प्रत्यर्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया था और अपीलार्थी को बिना पक्षकार बनाए ही एक तरफा में आदेश पारित करवा लिया। चूंकि अपीलार्थी के विवादित आराजियात में हित निहित है और उक्त निर्णय से अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार होने से अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

अभिभाषक अपीलार्थी की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित आराजियात मृतक हरदेवराम के दो भाई घीसाराम व लालाराम के हक में नामान्तरकरण प्रस्तावित किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार डेगाना को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है। अपीलार्थी कतई उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है जिससे उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता है जिससे अपीलार्थी का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जावे।

उभय पक्षों की धारा–96 सीपीसी पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार होने से अपीलार्थी का धारा–96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि स्व0 हरदेवराम ने अपने हक, हिस्से व खातेदारी की आरायिजात की वसीयत अपीलार्थी के हक में दिनांक 10–5–2016 को निष्पादित की है जिसके आधार पर मृतक

हरदेवराम के हक हिस्से की आराजियात का नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम स्वीकृत किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय व ग्राम पंचायत का आदेश विधिविरूद्ध है क्योंकि पंजीकृत वसीयतनामे को दीवानी न्यायालय को ही निरस्त करने का अधिकार है। पंजीकृत वसीयतनामा को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। वसीयतनामे को निरस्त किये बिना कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–1–2018 निरस्त किया जावे एवं विवादित नामान्तरकरण संख्या 118 में हस्तक्षेप करते हुए वसीयतकर्ता हरदेवराम के हक खातेदारी की आराजियात पंजीकृत वसीयत के आधार पर अपीलार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त कथनों के समर्थन में आर.आर.डी 1993 पेज 505, आर.आर.टी. 2019 (1) पेज 113 एवं आर.आर.टी. 2007 (2) पेज 1008 की नजीरे प्रस्तुत कर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित आराजियात पुश्तैनी आराजियात है। अपीलार्थी घीसाराम का पुत्र है। हरदेवराम अविवाहित फौत हो गया। हरदेवराम की मृत्यु दिनांक 14–4–2017 को हो गई थी। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 118 भरकर सरपंच ग्राम पंचायत बिखरनियांकला के समक्ष प्रस्तुत किया। अपीलार्थी ने सहायक कलक्टर डेगाना के समक्ष वाद संख्या 44/2017 वसीयतनामा के आधार पर धारा 188 का दावा भी पेश किया जो दिनांक 30–6–2017 को खारिज किया जा चुका है। साथ ही विवादित आरायिजात पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की आराजियात है जिसकी वसीयत अकेले हरदेवराम को करने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–1–2018 विधिसम्मत है। अपीलार्थी ने सहायक कलक्टर डेगाना के समक्ष प्रस्तुत दावे में प्रत्यर्थी सख्या –1 को पक्षकार भी नहीं बनाया। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार डेगाना को पक्षकारान को सुनकर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि स्व0 हरदेवराम ने अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित वसीयत सही की है। वसीयत को चुनौती देने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को ही है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम बिखरनियांकला तहसील डेगाना स्थित विवादित आराजियात ग्राम खसरा नम्बर 190, 674, 583, 174, 179, 180 संयुक्त खातेदारी की आराजियात है। विवादित

आराजियात प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता मांगूराम पुत्र बलदेवराम की खातेदारी व कब्जे काश्त की थी जिनके फौत होने के पश्चात फौतगी का नामान्तरकरण उनके जायन्दा तीन पुत्र घीसाराम, लालाराम व हरदेवराम के नाम भरा जाकर खातेदारी हक से दर्ज की गई। स्व0 मांगूराम का पुत्र हरदेवराम जो कि अविवाहित था जिसकी मृत्यु दिनांक 14–4–2017 को हो गई थी। हरदेवराम के कोई औलाद नहीं थी। उसकी मृत्यु उपरान्त उसके सगे भाई घासीराम, एवं लालाराम ही उत्तराधिकारी एंव वारिसान है इनके अलावा और कोई हरदेवराम का उत्तराधिकारी नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित आराजियात हरदेवराम की निजी एंव स्वअर्जित आराजियात नहीं है अपितु पैतृक भूमि होने के कारण स्व0 हरदेवराम को वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना के समक्ष दावा प्रस्तुत किया जो उनके निर्णय दिनांक 30–6–2017 द्वारा खारिज किया जा चुका है। स्व0 हरदेवराम ने संयुक्त खातेदारी की आराजियात की वसीयत अपीलार्थी के नाम निष्पादित की गई जो अनुचित है क्योंकि नियमानुसार वसीयत केवल स्वअर्जित क्रयशुदा सम्पत्ति की ही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बिखरनियांकला द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5–6–2017 का नामान्तरकरण संख्या 118 निरस्त किया जाकर तहसीलदार, डेगाना को ग्राम बिखरनियांकला तहसील डेगाना स्थित आराजी खसरा नम्बर 190, 674, 583, 174, 179, 180 के विधिक वारिसानों की जांच कर पक्षकारान को विधिवत सुनकर नये सिरे से नामान्तरकरण आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जो उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–01–2018 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) डेगाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–01–2018 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 05/2017 बउनवान लालाराम बनाम ग्राम पंचायत बिखरनियांकला विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर